

**कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलेज संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place			New Posting Place		
				Name of School	District	Range	Name of School	District	Range
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SEEMA RANI	RJL202021028144	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIVANA JALORE (221114)	JALORE	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 2 R R.B. (212033)	GANGANAGA	BIKANER
2	DINESH KUMAR MEENA	RJBI201809037060	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUNDWARA (214019)	SIROHI	PALI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SATHALI (222297)	BUNDI	KOTA
3	PREM RAJ	RJJO202025030137	Social Science	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHENANIYO KI DHANI CHENSAGAR (402165)	JODHPUR	JODHPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BAJOLI (462082)	BHARATPUR	BHARATPUR
4	URMILA RAJVANIYA	RJBM201405022409	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALERA (220864)	BARMER	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALASAR BIKANER (211224)	BIKANER	BIKANER

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षार्थीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके संबंधित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिवंगत/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार अधिकार एवं शर्तों भत्ता देय नहीं है।
- वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय संबंधित से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जावे।
- नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2024 के नियम-36 के परन्तुक 07 में अंकित अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जानी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से रथगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपरिथत कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निर्दिष्ट कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।

*Ga*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/बोल-2/2022

दिनांक:- 08/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से कराते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबंधित कार्मिक .....
- रक्षित पत्रायली।

*GA*

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर